हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in *वेब साइट : www.durguniversity.ac.in* *दूरभाष : 0788-2359400*

क्र. 1522 /अका./का.प./2019 दुर्ग, दिनांक : 02/08/2019

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नियमित बैठक बुधवार, दिनांक 24.07.2019 समय प्रातः 10:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

श्री दिलीप वासनीकर, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. एम. ए. सिद्धिकी – सदस्य
2. डॉ. डी.सी.अग्रवाल – सदस्य
3. डॉ. देबाशीष डे – सदस्य
4. डॉ. हंसा शुक्ला – सदस्य
5. डॉ. रक्षा सिंह – सदस्य
6. डॉ. महेशचन्द्र शर्मा – सदस्य
7. श्री आनंद मिश्रा – सदस्य
8. श्री अशोक लोहिया – सदस्य
9. डॉ. प्रशांत श्रीधर बोकारे – सदस्य

डॉ. सी. एल. देवांगन, कुलसचिव – सचिव

कार्यपरिषद की दिनांक 24.07.2019 की बैठक का कार्यवृत्त :–

विषय क्रमांक 01.

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 27/03/2019 में लिए गये निर्णयों की पुष्टि करना।

निर्णय– विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 27/03/2019 में लिए गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक 02.

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 27/03/2019 में लिए गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय– विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 27/03/2019 में लिए गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन कर पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 03.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27/04/2019 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन करना।

निर्णय– कार्यपरिषद द्वारा विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27/04/2019 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

29.07.19

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव :–

विषय क्रमांक 04.

एम. जे. कॉलेज, कोहका – जुनवानी रोड, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.) के लिए परिनियम – 28 के अंतर्गत शिक्षा – विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय–कार्यपरिषद द्वारा एम. जे. कॉलेज, कोहका – जुनवानी रोड, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.) के लिए परिनियम 28 के अंतर्गत डॉ. श्वेता भाटिया को शिक्षा महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष पद हेतु अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 05.

मनसा शिक्षा महाविद्यालय, कोहका रोड, कुरूद, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.) के लिए परिनियम – 28 के अंतर्गत प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय– कार्यपरिषद द्वारा मनसा शिक्षा महाविद्यालय, कोहका रोड, कुरूद, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.) के लिए परिनियम 28 के अंतर्गत डॉ. स्मिता सक्सेना को प्राचार्य पद हेतु अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 06.

अपोलो कॉलेज, अंजोरा, दुर्ग (छ.ग.) में परिनियम – 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय– कार्यपरिषद द्वारा अपोलो कॉलेज, अंजोरा, दुर्ग (छ.ग.) के लिए परिनियम 28 के अंतर्गत डॉ. सिद्धार्थ जैन को प्राचार्य पद हेतु अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 07.

अशासकीय महाविद्यालयों में शासी निकायों के गठन हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में दो–दो सदस्यों के मनोनयन पर विचार करना (कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित सूची संलग्न)।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध 35 अशासकीय महाविद्यालयों के शासी निकाय के गठन हेतु संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तावित दो–दो सदस्यों के मनोनयन का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 08.

पी.एच.डी. शोध छात्रवृत्ति (Ph.D Scholarship) प्रारंभ किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः–कार्यपरिषद द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा जारी अध्यादेश क्रमांक 9 के अनुसार प्रस्तावित पी.एच.डी. शोध छात्रवृत्ति जिसमें प्रति माह छात्रवृत्ति की राशि 4000/– होगी जो 2 वर्षों के लिये एवं शोध कार्य अनुसार एक वर्ष अतिरिक्त वृद्धि किये जाने का प्रावधान है, साथ ही पी–एच.डी. शोध छात्रवृत्ति संबंधी अन्य प्रावधान निम्नानुसार रखे गये हैं –

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	रू. 4000/- प्रतिमाह (छात्रवृत्ति)	(दो वर्ष के लिए)
शोध छात्रवृत्ति	रू. 4000/- प्रतिवर्ष (आकस्मिक निधि)	

शोध छात्रवृत्ति की संख्या तथा इनका विभिन्न वर्गो के लिए आबंटन निम्नानुसार किया गया है –

(1) शोध छात्रवृत्ति	(20)	10 सामान्य
		04 अ.ज.जा.
		03 अ.जा.
		03 अ.पि.व.

उपरोक्तानुसार पी.एच.डी के शोधार्थियों को दिये जाने वाले प्रतिमाह छात्रवृत्ति के प्रस्ताव को शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 09.

शोध केन्द्रों के वार्षिक संबद्धता शुल्क की राशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः– शोध केन्द्रों के वार्षिक संबद्धता शुल्क की राशि में पूर्व की राशि 1000 रू. से वृद्धि कर 3000 रू. किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 10.

शोध निर्देशक हेतु प्रस्तुत आवेदन के लिए आवेदन शुल्क की राशि निर्धारित किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त कर पुर्नविचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक 11.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठकों में सदस्यों को सीटिंग फीस दिये जाने पर विचार करना।

निर्णय– विश्वविद्यालय में अध्ययनशाला (UTD) प्रारंभ होने तथा विश्वविद्यालय के UTD से डीन मनोनित किये जाने तक सम्बद्ध महाविद्यालयों से मनोनीत संकायाध्यक्षों को स्थायी समिति की बैठकों में सीटिंग फीस के रूप में 1000 रू. प्रति बैठक प्रदान किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

विषय क्रमांक 12.

विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डॉ. एन. पी. दीक्षित के एरियर्स भुगतान करने पर विचार करना।

निर्णय- भूतपूर्व कुलपति डॉ एन. पी. दीक्षित को वेतन/भत्ता ऐरियर्स राशि रू. 7,52,484/-(सात लाख बावन हजार चार सौ चौरासी मात्र) का भुगतान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 13.

विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिला कलेक्टर, दुर्ग द्वारा संशोधित मासिक मजदूरी दर के प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय- कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग आदेश क्रमांक/6718/वि.लि.प्र./2019 दुर्ग, दिनांक 24/06/2019 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिनांक 01/04/2019 से 30/09/2019 तक के लिए मासिक दर में परिवर्तन किया गया है विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	श्रेणी	पूर्व प्रचलित दर	परिवर्तित दर
01	अकुशल	₹ 8660.00	₹ 8920.00
02	अर्धकुशल	₹ 9310.00	₹ 9570.00
03	कुशल	₹ 10090.00	₹ 10350.00
04	उच्च कुशल	₹ 10870.00	₹ 11130.00

अतः उपरोक्तानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माह अप्रैल 2019 से संशोधित मासिक मजदूरी दर के प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 14.

विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/आकस्मिक कार्यो के लिए रखे गए मजदूरों की मजदूरी पर ई.एस.आई.सी. प्रबंधकीय एवं कर्मचारी अंशदान में संशोधित दर के प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः- कार्यपरिषद द्वारा भारत के राजपत्र में प्रसारित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिसूचना क्र.सा.का.नि. 121(अ) दिनांक 13/06/2019 को केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियामावली 1950 के नियम 51 में किए गए संशोधन के अनुसार जुलाई 2019 में परिवर्तित दर से ई.एस.आई.सी. प्रबंधकीय एवं कर्मचारी अंशदान भुगतान का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 15.

परीक्षा मद से स्थापना मद में राशि रू 120.00 लाख स्थानांतरण करने के प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा परीक्षा मद से स्थापना मद में राशि रू 120.00 लाख स्थानांतरण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 16.

विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षा 2019 संचालन हेतु महाविद्यालयों/परीक्षा केंद्रो को प्रदत्त परीक्षा अग्रिम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा 2019 संचालन हेतु महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 73,75,909.00 रू. (तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार नौ सौ नौ रू. मात्र) का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 17.

विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2019 में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक भुगतान हेतु मूल्यांकन केन्द्रों को अग्रिम प्रदान करने के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा 2019 में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक भुगतान हेतु मूल्यांकन केन्द्रों को अग्रिम राशि 80,00,000.00 रू. (अस्सी लाख रू. मात्र) का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 18.

सेवा प्रदाता के रूप में नवीन जीएसटी क्रमांक की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 19.

विश्वविद्यालय के विभिन्न मद से एक वर्ष अवधि के लिए नवीन सावधि जमा संबंधी सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव :–

विषय क्रमांक 20.

विश्वविद्यालय की सत्र 2017–18 की मुख्य परीक्षा पूर्व कार्य संपादन की देयक राशि रू. 26,18,128/– के भुगतान स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः—1. विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित उक्त विषय के प्रस्ताव में सत्र 2017—18 को सुधारते हुए सत्र 2018—19 पढ़ा जाये।

2. कार्यपरिषद द्वारा सत्र 2018—19 की मुख्य परीक्षा पूर्व कार्य संपादन हेतु अनुबंधित फर्म मे. लर्निंग स्पाइरल प्रा. लि., कोलकाता को देयक राशि रू. 26,18,128/— (छब्बीस लाख अठारह हजार एक सौ अठाईस रू. मात्र) के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 21.

विश्वविद्यालय की निविदा सूचना प्रकाशन की कुल देयक राशि रू. 5,93,166/-- के भुगतान स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः— कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय की निविदा सूचना प्रकाशन की कुल देयक राशि रू. 5,93,166/— (पांच लाख त्रियान्वे हजार एक सौ छैसठ रू. मात्र) का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 22.

विश्वविद्यालय के साथ हुए अनुबंध एवं कार्यादेश के अनुसार अनुबंधित फर्म को सत्र 2017—18 की परीक्षाओं के कार्य संपादन की देयक राशि रू. 2,61,64,920=00 की 50% राशि रू. 1,30,82,460=00 के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः— कार्यपरिषद द्वारा परीक्षा कार्य हेतु अनुबंधित पूर्व एजेंसी मे. नेशनल को — ऑपरेटिव कन्जयूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, (NCCF), रांची के साथ हुए अनुबंध एवं कार्यादेश के अनुसार अनुबंधित फर्म को सत्र 2017—18 की परीक्षाओं के कार्य संपादन की देयक राशि रू. 2,61,64,920=00 की 50% राशि रू. 1,30,82,460=00 (एक करोड़ तीस लाख ब्यासी हजार चार सौ साठ रू. मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव :—

विषय क्रमांक 23.

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया जिला—कबीरधाम एवं अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई द्वारा सेमेस्टर परीक्षा हेतु महाविद्यालय को पृथक—पृथक परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार करना।

निर्णयः— कार्यपरिषद द्वारा इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया जिला—कबीरधाम एवं अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई द्वारा सेमेस्टर परीक्षा हेतु महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

29.07.19

विषय क्रमांक 24.

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्र. 2570 / 1033 / आउशि / सम / 2019 अटलनगर, दिनांक 11.07.2019 द्वारा सेमेस्टर परीक्षा हेतु शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी लोहारा, जिला–बालोद को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी लोहारा, जिला–बालोद को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 25.

विश्वविद्यालयीन परीक्षा समिति की बैठकों, केन्द्रीय मूल्यांकन एवं समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली अन्य आवश्यक बैठकों में उपस्थित होने वाले समस्त प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक एवं अधिकारी / कर्मचारियों को स्थानीय यात्रा भत्ता के रूप में नियत राशि रू. 150 / – का भुगतान किए जाने पर विचार करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार नियत राशि रू. 150 / – का भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 26.

कु. विद्या वर्मा एवं कु. दिव्या पटेल की परीक्षा पुनः अयोजित करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 27.

सेमेस्टर परीक्षा (द्वितीय, चतुर्थ, एवं षष्टम सेमेस्टर) मई–जून 2019 हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 28.

सेमेस्टर परीक्षा (द्वितीय, चतुर्थ, एवं षष्टम सेमेस्टर) मई–जून 2019 हेतु ऑनलाईन पद्धति से परीक्षा फार्म भरवाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 29.

सेमेस्टर परीक्षा (द्वितीय, चतुर्थ, एवं षष्टम सेमेस्टर) मई–जून 2019 हेतु समय–सारिणी जारी करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 30.

सत्र 2019–20 हेतु ऑनलाईन पद्धति से महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

मूल्यांकन विभाग से संबंधित प्रस्ताव :–

विषय क्रमांक 31.

भारती कॉलेज, पुलगांव, दुर्ग में एम.एड. द्वितीय सेमेस्टर मई–जून 2018–19 के परीक्षाओं के लघुशोध प्रबंध प्रस्ताव मौखिक परीक्षा के संबंध में जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करनां।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा भारती कॉलेज, पुलगांव, दुर्ग को आगामी सत्र 2019–20 से एक वर्ष के लिए एम.एड. परीक्षा के परीक्षा केन्द्र से वंचित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं भविष्य में भी उक्त महाविद्यालय की गतिविधियां उचित न पाये जाने पर अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

विषय क्रमांक 32.

मुख्य परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा 2018–19 के लिए परीक्षा में अनुचित साधन प्रकरणों के निवारण हेतु अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा VI(a) के तहत कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात समिति गठन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

स्थापना विभाग से संबंधित प्रस्ताव :–

विषय क्रमांक 33.

राज्य शासन से विश्वविद्यालय के सेटअप में प्राप्त सहायक अधीक्षक/लेखापाल एवं अधीक्षक पदों के पदनाम में संशोधन कर विश्वविद्यालय विनियम 91 में उल्लेखित पदनाम क्रमशः सहायक ग्रेड – 01/उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग – 1 एवं कनिष्ठ अधीक्षक किए जाने हेतु प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग प्रेषित किए जाने पर विचार करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 34.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शनिवार दिनांक 06 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 411 के अनुसार **"संतान पालन अवकाश"** को विश्वविद्यालय में लागू कराये जाने पर विचार करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शनिवार दिनांक 06 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 411 के अनुसार **"संतान पालन अवकाश"** को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 35.

श्री राजीव मिश्रा, सहायक अभियंता, शिवनाथ मंडल, जल संसाधन विभाग, दुर्ग विश्वविद्यालय के तकनीकी प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः— कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 36.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों श्री अलख राम गंजीर एवं श्री गोविंद लाल नामदेव की प्रतिमाह रू. 12,500 के निश्चित मानदेय पर छः माह हेतु नियुक्ति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः— कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 37.

<u>**अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय**</u>

विषय क्रमांकः— 1

भवन निर्माण समिति के गठन हेतु कार्यपरिषद से 02 सदस्यों के नाम के मनोनयन संबंधी।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा भवन निर्माण समिति के गठन हेतु 02 सदस्यों के नाम का मनोनयन निम्नानुसार किया गया:—

1. विभागाध्यक्ष, सिविल विभाग, बी.आई.टी., दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. एम. ए. सिद्धिकी (सदस्य कार्यपरिषद) शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषय क्रमांकः— 2

विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने संबंधी।

निर्णयः प्रतिवर्ष एक वर्ष में कुल 03 माह की अवधि में प्रतिमाह 1000 रू. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो कि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त समयावधि तक कार्य करते हैं, उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारी से प्रमाणित होने के पश्चात तथा कुलसचिव द्वारा अनुमोदन के उपरांत चयनित कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के अंत में कुलसचिव ने अध्यक्ष एवं उपस्थित समस्त सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुलपति (अध्यक्ष)	24.07.19 कुलसचिव (सचिव)

पृ.क्र. 1523 /अका./का.प./2019 दुर्ग, दिनांक : 02/08/2019

प्रतिलिपिः

1. माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
3. कुलपति के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
4. समस्त विभागीय अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बैठक में लिए गये उनके विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन तत्काल अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित कर 10 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन से अवगत कराएं एवं प्रतिलिपि अकादमिक शाखा में उपलब्ध करायें।

29.07.19

कुलसचिव